(347)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010 2975 खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

विषयः- पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के सुगमतापूर्वक संचरण हेतु पाइप लाइनों का प्रयोग किया जाता है । इन पाइप लाइनों एवं इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों से पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी की सूचना यदा-कदा प्राप्त होती रहती है । ऐसा करने से जहाँ सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है वहीं जान माल की भी क्षति होने की संभावना बनी रहती है । पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव अनुरोध है कि पाइप लाइनों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाय और इनसे पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस की चोरी करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध IPC, EC Act, ' Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980' एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-विविध-37/2010 2975 खाद्य, पटना/दिनांक- 3/5/2011

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड, प्रथम तल्ला, विश्व व्यापार केन्द्र बाबर रोड, नई दिल्ली - 110001 को उनके संदर्भ संख्या PNG RB/CH/11 दिनांक- 7 अप्रील, 2011 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव ।